भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1950

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

धूम्रपान न करने वालों में फेफड़ों का कैंसर

1950. श्री सी.एम.रमेश :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लांसेट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार देश में फेफड़े के कैंसर के 50 प्रतिशत से अधिक रोगी धूम्रपान नहीं करते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वायु प्रदूषण, एस्बेस्टॉस, क्रोमियम, कैडमियम, कोयला, आर्सेनिक आदि के आक्युपेशनल प्रभाव इसके लिए किस हद तक जिम्मेदार हैं;

(ग) क्या धूम्रपान न करने वाले लेकिन फेफड़ों के कैंसर से पीडि़त लोगों में आनुवांशिक संवेदनशीलता, हार्मोनल स्थिति, पिछली फेफड़ों की बीमारियों की भूमिका है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत में फेफड़े का कैंसर पश्चिमी देशों के लोगों की तुलना में धूम्रपान न करने वालों को पहले संक्रमित करता है, यदि हां, तो तत्संबंधी क्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा देश में रोग की शीघ्र पता लगाने, उपचार करने और शल्य चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव)

(क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लेंसेट नैरेटिव समीक्षा आलेख में बताया गया है कि भारत में फेफडें के कैंसर के मरीजों में 40-50% ने कभी भी धूम्रपान नहीं किया है। तथापि बहुत से अध्ययनों में सांख्यिकीय तौर पर तंबाकू के धूम्रपान और फेफडे के कैंसर के बीच लगातार जुड़ाव रहा है (उसी आलेख में सूचित किया गया है)। तंबाकू प्रयोक्ताओं में फेफड़े का कैंसर विकसित होने का अपेक्षाकृत रूप से अधिक जोखिम होता है। यह जोखिम 3.9 से 26.2 गुना होता है।

(ख) - जेसीओ ग्लोबल ऑन्कोलॉजी में प्रकाशित आईसीएमआर-एनसीडीआईआर के कैंसर की घटना और मृत्यु दर पर परिवेशी वायु प्रदूषण के वैश्विक प्रभाव का आकलन व्यापक मेटा-विश्लेषण नामक अध्ययन के अनुसार 1.04 (95% सीआई, 1.02 से 1.05) प्रमुख वायु प्रदूषकों (पीएम 2.5, पीएम 10, ओ 3, एनओ 2) के संपर्क में आने से कैंसर की घटनाओं के साथ महत्वपूर्ण संबंध प्रदर्शित होता है।

कैंसर की घटनाओं और मृत्यु दर पर परिवेशी वायु प्रदूषण के वैश्विक प्रभाव का आकलन: एक व्यापक मेटा-विश्लेषण/जेसीओ ग्लोबल ऑन्कोलॉजी (ascopubs.org)

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, परिवेशी वायु प्रदूषण तीव्र और चिरकालिक रोगों जैसे कि फेफड़े का कैंसर, क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के व्यापक स्पेक्ट्रम से जुड़ा हुआ है।

(https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/ambient-air-pollution)

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने धूम्रपान न करने वाले व्यक्तियों में फेफड़े के कैंसर और इसकी आनुवंशिक संवेदनशीलता, हार्मोन की स्थिति और पूर्व फेफड़े के रोग के बीच संबंध का पता लगाने के लिए कोई अनुसंधान नहीं किया है।

(घ) आईसीएमआर-एनसीआरपी डाटा के अनुसार, वर्ष 2020 के लिए भारत, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में फेफड़े के कैंसर और कैंसर के सभी स्थलों के निदान की अनुमानित औसत आयु नीचे दी गई है।

जनसंख्या	**फेफड़ों का कैंसर**	**सभी साइटें**
भारत	64	59
यूरोप	69	69
उत्तरी अमेरिका	71	70

(ङ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तीन सबसे सामान्य प्रकार के कैंसर (मुख कैंसर, स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर) एनपी-एनसीडी का अभिन्न अंग हैं। कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल हैं,

i. अवसंरचना मजबूत करना
ii. मानव संसाधन विकास
iii. स्वास्थ्य संवर्धन
iv. आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 30 वर्ष और उससे अधिक की आबादी की सामान्य एनसीडी यानी मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सामान्य कैंसर (मौखिक, स्तन और गर्भाशय) के लिए स्क्रीनिंग
v. शीघ्र निदान और प्रबंधन

vi. उचित स्तर के स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र के लिए रेफरल

एनपी-एनसीडी के तहत 753 जिला एनसीडी क्लीनिक, 356 जिला डे केयर सेंटर और 6238 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

कैंसर की रोकथाम और उपचार के लिए जागरूकता पैदा करना भी निम्नलिखित तरीकों से केंद्रित किया गया है:
-

(i) स्वास्थ्य कार्यकलापों को बढ़ावा देकर और सामुदायिक स्तर पर लक्षित संप्रेषण द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के अंतर्गत कैंसर के निवारक पहलू को सुदृढ़ किया गया है।

(ii) राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, विश्व कैंसर दिवस के आयोजन में प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता पैदा करने की दृष्टि और स्वस्थ जीवनशैली संवर्धन हेतु अन्य पहलें शामिल है।

(iii) एनपी-एनसीडी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के अनुसार शुरू किए जाने वाले कैंसर सहित गैर-संचारी रोगों के लिए जागरूकता पैदा करने संबंधी कार्यकलापों के लिए एनएचएम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(iv) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के ईट राइट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से स्वस्थकर आहार को बढ़ावा दिया जाता है। "फिट इंडिया मूवमेंट" युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है। आयुष मंत्रालय द्वारा योग से संबंधित विभिन्न कार्यकलाप किए जाते हैं।

अवसंरचना के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई इस प्रकार है:-

(i) केन्द्र सरकार विशिष्ट परिचर्या कैंसर सुविधा केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण की योजना कार्यान्वित करती है। उक्त स्कीम के अंतर्गत 19 राज्य कैंसर संस्थानों (एससीआई) और 20 विशिष्ट परिचर्या कैंसर केन्द्रों (टीसीसीसी) को अनुमोदित किया गया है।

(ii) झज्जर (हरियाणा) में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता का दूसरा परिसर भी स्थापित किया गया है।

(iii) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत सभी नए एम्स तथा मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों का उन्नयन भी कैंसर के उपचार पर ध्यान केन्द्रित करता है।

सुलभ और वहनीय स्वास्थ्य परिचर्या और उपचार को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) कैंसर सहित एनसीडी का निदान और उपचार जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, एम्स जैसे केन्द्रीय संस्थान, केन्द्र सरकार के अस्पतालों और निजी क्षेत्र के अस्पतालों सहित स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायगी प्रणाली में विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध है। सरकारी अस्पतालों में उपचार या तो नि:शुल्क है अथवा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त है।

(ii) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत कैंसर का उपचार उपलब्ध है, 55 करोड़ से अधिक गरीब और जरूरतमंद लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने सूचित किया है कि एनएचए के शासी बोर्ड ने नैदानिक परीक्षणों को शामिल करने का अनुमोदन किया है जो कैंसर के पुष्ट मामलों में स्टैगिंग और उपचार योजना के लिए उपयोगी हैं। शुरू किए गए नैदानिक पैकेज स्तन, गर्भाशय ग्रीवा और मुख कैंसर के संबंध में हैं। इससे लाभार्थियों को जेब खर्च को कम करने में मदद मिलेगी।

(iii) औषध विभाग ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूची-I में शामिल 131 कैंसर-रोधी अनुसूचित फार्मूलेशनों के अधिकतम मूल्य निर्धारित किए हैं। इसके अलावा, एनपीपीए ने 42 चुनिंदा कैंसर-रोधी गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के व्यापार माजन की अधिकतम सीमा निर्धारित की है।

(iv) किफायती मूल्यों पर गुणवत्तायुक्त जेनरिक दवाइयां प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केन्द्र (पीएमबीजेके) के नाम से ज्ञात समर्पित बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) योजना शुरू की गई थी। 30 जून, तक देश में 12,616 पीएमबीजेके खोले जा चुके हैं। पीएमबीजेपी के तहत, 2047 प्रकार की दवाओं और 300 सर्जिकल उपकरणों को योजना परिप्रेक्ष्य के तहत लाया गया है, जिनमें से 83 उत्पाद कैंसर के उपचार के लिए हैं।

(v) किफायती औषधियों और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य कैंसर, हृदयवाहिका और अन्य रोगों के उपचार के लिए सस्ती दवाएं प्रदान करना है। 15.06.2024 तक 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैली विस्तरित 206 अमृत फार्मेसियां हैं, जो 5,200 से अधिक दवाओं (हृदय, कैंसर, मधुमेह, स्टेंट आदि सहित), प्रत्यारोपण, सर्जिकल डिस्पोजेबल और अन्य उपभोग्य सामग्रियों को छूट पर बेच रही हैं।

****